


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2015/आश्विन 24, 1937

No. 277]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2015/ASVINA 24, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2015

फा. सं. 16/1/2015-पीआर – अटल पेंशन योजना.—

- 1. पृष्ठभूमि:** भारत सरकार ने सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, कम सुविधा प्राप्त लोगों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के बारे में 2015-16 की बजट घोषणा के अनुसरण में 1 जून, 2015 से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नामक एक पेंशन योजना शुरू की है। एपीवाई को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत आर्किटेक्चर के अधीन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अभिशासित किया जा रहा है।
- 2. एपीवाई में शामिल होने की पात्रता:** एपीवाई बचत बैंक खाता रखने वाले सभी भारतीयों के लिए है। एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है।
- 3. एपीवाई की विशेषताएं:** एपीवाई स्वैच्छिक आवधिक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत अभिदाता को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:-
 - i. केंद्र सरकार द्वारा गारंटीयुक्त न्यूनतम पेंशन राशि:** एपीवाई के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु के पश्चात्, मृत्यु होने तक प्रतिमाह 1000 रुपए या प्रतिमाह 2000 रुपए या प्रतिमाह 3000 रुपए या प्रतिमाह 4000 रुपए या प्रतिमाह 5000 रुपए का सरकार द्वारा गारंटीयुक्त न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेगा।

- ii. **केंद्र सरकार द्वारा पति/पत्नी (स्पाउज) को गारंटीयुक्त न्यूनतम पेंशन राशि:** अभिदाता की मृत्यु के पश्चात्, अभिदाता के पति/पत्नी (स्पाउज) उनकी मृत्यु होने के समय अभिदाता द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन के समान पेंशन राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- iii. **अभिदाता के नामिति को पेंशन राशि की वापसी:** अभिदाता और पति/पत्नी (स्पाउज) दोनों की मृत्यु के पश्चात्, अभिदाता का नामिति, अभिदाता के 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि को प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- 4. अभिदाता द्वारा भुगतान का अंशदान:** एपीवाई में अभिदाता का अंशदान मासिक, त्रैमासिक या छमाही अंतराल पर अभिदाता के बचत बैंक खाते से निर्धारित अंशदान राशि के "ऑटो डेबिट" सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। अभिदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एपीवाई में शामिल होने से लेकर 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित अंशदान राशि का अंशदान करें। वर्ष-वार, पेंशन-वार और अंशदान-अंतराल-वार निर्धारित अंशदान राशि और नामिति के लिए उपलब्ध सांकेतिक पेंशन राशि अनुबंध-1 की तालिका में दिया गया है।
- 5. केन्द्र सरकार द्वारा सह-अंशदान हेतु पात्रता:** पात्र आयु वर्ग के अभिदाता जो आयकरदाता न हों और जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल न हो, वे निम्नलिखित सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं:
- 31 दिसम्बर, 2015 से पहले एपीवाई में शामिल होने वाले पात्र अभिदाताओं के लिए 1000 रुपए प्रतिवर्ष की सीमा तक कुल निर्धारित अंशदान का 50% केन्द्र सरकार द्वारा सह-अंशदान।
 - केन्द्र सरकार का सह-अंशदान 5 वर्ष की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि के लिए प्राप्त होगा।
- 6. राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त स्वैच्छिक सह-अंशदान:** राज्य सरकारें अपने राज्य के एपीवाई अभिदाताओं को अतिरिक्त स्वैच्छिक सह-अंशदान उपलब्ध करा सकती हैं। इस संबंध में प्रक्रिया पीएफआरडीए द्वारा केन्द्र सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।
- 7. एपीवाई के अंतर्गत नामांकन की प्रक्रिया:** 18 से 40 वर्ष के आयु समूह के सभी भारतीय नागरिक किसी नामांकन एजेन्सी में विधिवत पूर्ण आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करके एपीवाई के अंतर्गत अपना नामांकन करवा सकते हैं।
- 8. एपीवाई के अंतर्गत नामांकन एजेंसियां:** एपीवाई आवेदन निम्नलिखित में से किसी भी एजेन्सी में प्रस्तुत किए जा सकते हैं:
- सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, बैंकिंग कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों में सीधे या निम्नलिखित सुविधाकर्ता के जरिए:
 - सभी पॉइन्ट्स ऑफ प्रजेन्स (सेवा प्रदाता) तथा एग्रीगेटर, जो एनपीएस की संस्थागत संरचना के अंतर्गत अभिशासित हैं और जिनकी नियुक्ति पीएफआरडीए द्वारा की गई है वे बैंक के सुविधाकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं।
 - वैसे व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी)/मौजूदा गैर-बैंकिंग एग्रीगेटर, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं आदि जिन्हें बैंकों द्वारा परिचालनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।
 - पीएफआरडीए अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य नामांकन एजेंसियां जैसे सीबीएस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आने वाले डाक विभाग।
- 9. एपीवाई के अंतर्गत प्रभार तथा शुल्क और अतिदेय ब्याज:** निर्धारित अंशदान का भुगतान न करने या भुगतान विलंब से करने के लिए एपीवाई के अभिदाताओं पर प्रभार तथा शुल्क और अतिदेय ब्याज प्रभारित किए जाएंगे। ये प्रभार और इन्हें अधिरोपित करने की पद्धति पीएफआरडीए द्वारा भारत सरकार के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।
- 10. संवर्द्धनात्मक व्यय की प्रतिपूर्ति तथा अभिदाताओं के नामांकन के लिए प्रोत्साहन और प्रोत्साहन का सहभाजन:** केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित पद्धति में लोगों को एपीवाई में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अंशदान संग्रह करने वाली एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले संवर्द्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र

सरकार करेगी। बैंकों तथा अन्य नामांकन एजेन्सियों को भी एपीवाई के अन्तर्गत नामांकन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसका सहभाजन वे बीसी/एमएफआई/गैर-बैंक एग्रीगेटर के बीच एक अनुपात में कर सकते हैं। बैंकों एवं अन्य नामांकन एजेन्सियों को देय प्रोत्साहन और इन प्रोत्साहनों के सहभाजन के अनुपात का निर्धारण समय-समय पर पीएफआरडीए द्वारा भारत सरकार के परामर्श से किया जाएगा।

11. स्वावलंबन योजना के मौजूदा अभिदाता: 18-40 वर्ष के आयु समूह के स्वावलंबन के मौजूदा अभिदाता एपीवाई में शामिल हो जाएंगे बशर्ते कि वे इससे बाहर निकलने के विकल्प का चयन न करें। इस आयु समूह की सीमा से बाहर के अभिदाता पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निर्गमन और आहरण) विनियमन, 2015 के द्वारा अभिशासित होंगे।

12. एपीवाई के अंतर्गत अंशदान का निवेश: एपीवाई के अंतर्गत संग्रहीत राशि का निवेश समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति में किया जाएगा।

13. निर्गमन, आहरण और पेंशन भुगतान: 60 वर्ष पूरा करने के उपरांत निवेश प्रतिफल के आधार पर अभिदाता गारंटीयुक्त मासिक पेंशन अथवा अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे। अपवादात्मक परिस्थितियों में अर्थात् लाभार्थी की मृत्यु अथवा 60 वर्ष से पहले पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निर्गमन और आहरण) विनियमन, 2015 में यथा उल्लिखित निर्दिष्ट बीमारी से ग्रसित होने की स्थिति में उस तारीख तक संचित पेंशन धनराशि नामिति अथवा अभिदाता, जैसा भी मामला हो, को दे दी जाएगी। यदि कोई अभिदाता, जिसने एपीवाई के अंतर्गत सरकार के सह-अंशदान की सुविधा प्राप्त की है, 60 वर्ष की आयु से पूर्व एपीवाई को स्वैच्छा से छोड़ता है, तो उसे उसके द्वारा एपीवाई में किए गए अंशदान के साथ अंशदानों पर अर्जित निवल वास्तविक ब्याज (खाता रखरखाव प्रभारों की कटौती के उपरांत) लौटाया जाएगा, जबकि सरकार का सह-अंशदान तथा सरकार के सह-अंशदान पर अर्जित ब्याज को ऐसे अभिदाताओं को नहीं लौटाया जाएगा।

डॉ. शशांक सक्सेना, आर्थिक सलाहकार

अनुबंध-1

एपीवाई के अंतर्गत अलग-अलग आयु में शामिल होने पर अलग-अलग न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन राशि के लिए मासिक, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक अंशदान तथा नामिति को कॉर्पस राशि वापस करना

		1000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन			2000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन			3000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन			4000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन			5000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन		
नामिति को कॉर्पस राशि की वापसी		1.7 लाख रुपए			3.4 लाख रुपए			5.1 लाख रुपए			6.8 लाख रुपए			8.5 लाख रुपए		
शामिल होने के समय आयु	निवेश अवधि	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्ध-वार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्ध-वार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्ध-वार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्ध-वार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्ध-वार्षिक अंशदान
18	42	42	125	248	84	250	496	126	376	744	168	501	991	210	626	1239
19	41	46	137	271	92	274	543	138	411	814	183	545	1080	228	679	1346
20	40	50	149	295	100	298	590	150	447	885	198	590	1169	248	739	1464
21	39	54	161	319	108	322	637	162	483	956	215	641	1269	269	802	1588
22	38	59	176	348	117	349	690	177	527	1045	234	697	1381	292	870	1723
23	37	64	191	378	127	378	749	192	572	1133	254	757	1499	318	948	1877
24	36	70	209	413	139	414	820	208	620	1228	277	826	1635	346	1031	2042
25	35	76	226	449	151	450	891	226	674	1334	301	897	1776	376	1121	2219

26	34	82	244	484	164	489	968	246	733	1452	327	975	1930	409	1219	2414
27	33	90	268	531	178	530	1050	268	799	1582	356	1061	2101	446	1329	2632
28	32	97	289	572	194	578	1145	292	870	1723	388	1156	2290	485	1445	2862
29	31	106	316	626	212	632	1251	318	948	1877	423	1261	2496	529	1577	3122
30	30	116	346	685	231	688	1363	347	1034	2048	462	1377	2727	577	1720	3405
31	29	126	376	744	252	751	1487	379	1129	2237	504	1502	2974	630	1878	3718
32	28	138	411	814	276	823	1629	414	1234	2443	551	1642	3252	689	2053	4066
33	27	151	450	891	302	900	1782	453	1350	2673	602	1794	3553	752	2241	4438
34	26	165	492	974	330	983	1948	495	1475	2921	659	1964	3889	824	2456	4863
35	25	181	539	1068	362	1079	2136	543	1618	3205	722	2152	4261	902	2688	5323
36	24	198	590	1169	396	1180	2337	594	1770	3506	792	2360	4674	990	2950	5843
37	23	218	650	1287	436	1299	2573	654	1949	3860	870	2593	5134	1087	3239	6415
38	22	240	715	1416	480	1430	2833	720	2146	4249	957	2852	5648	1196	3564	7058
39	21	264	787	1558	528	1574	3116	792	2360	4674	1054	3141	6220	1318	3928	7778
40	20	291	867	1717	582	1734	3435	873	2602	5152	1164	3469	6869	1454	4333	8581